

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS Chandinagar, Baghpat-(UP)

Date: 28.03.2025

**NOTICE
2025-26**

The parents are required to submit the self-attested photo-copies of the following documents at the time of admission in case the child is selected in PROVISIONAL LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR ADMISSION (SUBJECT TO VERIFICATION OF ALL THE RELEVANT DOCUMENTS)

1. Print out of Downloaded Registration Form
2. Birth Certificate printed with the name of the child issued by the competent authority
3. Proof of Single Girl Child-Ration Card/Affidavit from Executive Magistrate, if applicable
4. Certificate of SC/ST/OBC/Minority issued by the competent authority, if applicable
5. Service Certificate (applicable for Govt. Servicemen only) showing the number of transfer during preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters.
6. Certificate of EWS/BPL issued by the competent authority, if applicable
7. Proof of Address-Aadhar card/Ration Card/Voter Card etc. in case of parents
8. Aadhaar card of the Child
9. Self- Undertaking regarding Distance from Vidyalaya to Residence
10. Proof of Blood group of the child

Note: EWS Certificate and OBC (Non-Creamy Layer) Certificate should be valid certificates as per the validity period prescribed by the competent authority.

By Order

केन्द्रीय विद्यालय वायुसेना चांदीनगर बागपत (उत्तर प्रदेश)

प्रवेश हेतु दस्तावेज (2025-26)

प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों के अभिभावकों को प्रवेश के समय निम्न दस्तावेज जमा कराने हैं।

1. पजीकृत फॉर्म
2. जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी ।
3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग नोन कीमिलेयर जातिप्रमाण-पत्र ।
4. नोकरी प्रमाण पत्र (केवल सरकारी कर्मचारी के लिए) जिसमे सात साल का स्थानांतरण विवरण, अधिकारी का नाम, पद, ऑफिस अंकित हो।
5. ई डब्लू एस/बी.पी.एल प्रमाण-पत्र यदिहैं।
6. निवास प्रमाण-पत्र (address proof) के लिए आधार कार्ड/राजन कार्ड/माता-पिता का वोटर कार्ड। कोई एक
7. स्वयं लिखित विद्यालय की दूरी।
8. अभ्यर्थी का ब्लड ग्रुप प्रमाण-पत्र:।
9. पिछली कक्षा का रिपोर्टकार्ड
10. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC-Transfer Certificate)

नोटः

1. प्रवेश, उपरोक्त प्रमाणपत्री के सत्यापित होने के बाद ही सुनिश्चित माना जायगा।

2. ई डब्लू एस ओ बी.सी प्रमाण-पत्र की समय सीमा पर ध्यान दिया जाएगा।
3. विद्यार्थी का अपार आई डी बनाने के लिए उसका आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में स्वयं का नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम का विवरण एक सामान होना चाहिए।